

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 06.04.2024 को जनपद में अपराधियों के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 353/22 धारा 308/323/504/506 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त 1.रवि प्रताप पुत्र भानू प्रताप 2.अजय प्रताप पुत्र चन्द्र प्रताप नि0गण हसनापुर थाना रुरा का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/18 धारा 60 EX ACT में वारंटी अभियुक्त कल्लू पहलानी पुत्र स्व0 साहबलाल नि0 ग्रा0 कैलाशपुरवा थाना मूसानगर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक नायक पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम हरदुआ खालसा थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 155/2024 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त सनी कुमार पुत्र गोविन्द कुमार निवासी चिराना रनियां का0दे0 के कब्जे से 28 क्वार्टर टिन् टावर देशी शराब अवैध बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 71/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रहीश पुत्र करीम बक्स निवासी बाजार वार्ड कस्बा अमरौधा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात के कब्जे से दो पिपियों में 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 95/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त निर्मल सिंह पुत्र राम सेवक निवासी ग्राम जुरिया थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात के कब्जे से अवैध 2 किला 900 ग्राम गांजा व एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 102/2024 धारा 8/20(B) एनडीपीएस एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

➤ थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. धर्मेन्द्र उर्फ अंकित दूबे पुत्र प्रेमचन्द्र दूबे 2. घनश्याम उर्फ सिन्दू पुत्र सुरेश सिंह गौर नि0गण दशहरा थाना रसूलाबाद कानपुर देहात के कब्जे से कुल 24 अदद क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 139/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना रुरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति तथा थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।